अन्तर्गत न्यायालय, अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी–प्रथम, रोसड़ा।

रोसड़ा थाना कांड सं0–07/22, रजि0 नं0–107/22, टी0आर0 नं0–1548/23

Date of order	Order with Signature of Court	Action taken
22-09-2023	आवेदक अभियुक्तगण 1. उमेश यादव, 2. महेश यादव, 3. रामचन्द्र यादव, 4. लक्ष्मण महतो, 5. पवन यादव, 6. मणिकांत यादव, एवं 7. सुनील यादव की ओर से दिनांक– 20.09.2023 को जमानत आवेदन–पत्र शक्ति पत्र के साथ दाखिल किया गया, जिसे आज सुनवाई हेतु प्रचालित किया गया। अभियुक्तगण को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। जमानत आवेदन की एक प्रति विद्वान सहायक लोक अभियोजन पदाधिकारी को प्राप्त कराया गया है। आवेदक अभियुक्त की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुये, तथा उनका कथन है कि आवेदक अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष है एवं उन्होंने कोई भी अपराध नहीं किया है। इनकी ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन सं0–2222/2023 माननीय अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, रोसड़ा के न्यायालय से ऑब्जर्वेशन के साथ निष्पादित किया जा चुका है, इसके अलावे कोई भी जमानत आवेदन न ही दाखिल किया गया है और न ही लम्बित है। आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध दर्ज संपूर्ण आरोप बनावटी एवं मनगढंत है। वह पुलिस जमानत पर हैं। संज्ञानोपरांत प्रथम उपस्थिति है। इनके विरूद्ध संज्ञान लिये गए धाराओं में से धारा–354 भा0द0वि0 को छोड़कर अन्य धाराएं जमानतीय है। वह विद्वान न्यायालय के शर्तों का पालन करेगा एवं जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा। आवेदक अभियुक्तगण के फरार होने अथवा साक्ष्य को प्रभावित करने की कोई संभावना नहीं है। विद्वान अधिवक्ता आवेदक अभियुक्त को किसी भी राशि पर जमानत आवेदन पर छोड़ने की प्रार्थना करते हैं। विद्वान सहायक लोक अभियोजन पदाधिकारी उपस्थित होकर जमानत का विरोध करते हैं। उभय पक्ष को जमानत के आवेदन पर सुना, इस अभिलेख का अवलोकन किया, अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक अभियुक्तगण के विरूद्ध दिनांक–01.11.2022 को धारा–447, 341, 323, 354, 504, एवं 506/34 भा0द0वि0 के अंतर्गत अपराध का संज्ञान लिया गया है, जिसमें धारा– 354 को छोडकर अन्य धाराएं जमानतीय है। अभिलेख के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि आवेदक अभियुक्तगण की ओर से दाखिल ए0बी0पी0 सं0–2222/23 माननीय अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय, रोसड़ा के न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत हेतु उपयुक्त नहीं होने और अभियुक्तगण को निम्न न्यायालय में आत्मसमर्पण करने के निर्देश के साथ दिनांक–24.08.2023 को निष्पादित किया गया है। आवेदक अभियक्तगण की संज्ञानोपरांत प्रथम उपस्थिति है। कांड–दैनिकी	

अन्तर्गत न्यायालय, अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी–प्रथम, रोसड़ा।

रोसड़ा थाना कांड सं0–07/22, रजि0 नं0–107/22, टी0आर0 नं0–1548/23

लगातार 22.09.2023	के कंडिका–25 में आवेदक अभियुक्त को धारा–41(1) द0प्र0सं0 अंतर्गत जमानत का सुविधा प्राप्त है। वह जमानत के सिद्धांतों का पालन करने एवं वाद निष्पादन में सहयोग करने को तैयार हैं। अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थतियों एवं ए0बी0पी0 नं0– 2222/23 में पारित आदेश के आलोक में आवेदक अभियुक्तगण को जमानत पर मुक्त करना न्यायोचित प्रतीत होता है, उपरोक्त अभियुक्त को मो0 **7,000/–** रुपये के जमानत बंध–पत्र साथ ही समान प्रतिभुओं वाले राशि के **दो** जमानतदारों द्वारा जमानत बंध पत्र दाखिल करने पर इस वाद में जमानत पर मुक्त करने का आदेश इस शर्त पर दिया जाता है कि **वह भविष्य में किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल होने से स्वयं को निवारित रखेंगे, एवं इस आशय का अंडरटेकिंग दाखिल करें।** **लेखापित** **अ0 मु0 न्या0 द0–I**	
पश्चात् 22.09.2023	उपरोक्त आदेश के आलोक में अभियुक्तगण 1. उमेश यादव, 2. महेश यादव, 3. रामचन्द्र यादव, 4. लक्ष्मण महतो, 5. पवन यादव, 6. मणिकांत यादव, एवं 7. सुनील यादव की ओर से बंध–पत्र साथ अंडरटेकिंग दाखिल किया गया, जिसे जांचोपरांत सही पाकर **स्वीकृत** किया जाता है। **लेखापित** **अ0 मु0 न्या0 द0–I**	